



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 7 अगस्त, 2021 ई० (श्रावण 16, 1943 शक संवत्) [संख्या 32

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	607—624	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	949—968	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाटों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	673—680	975
			स्टोर्स—पंचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-2

स्थानान्तरण/तैनाती

15 जुलाई, 2021 ई०

सं० 10/2021/आडिट-2-79989/10-25001(010)/2/2021-4—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित उप निदेशकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उनके वर्तमान तैनाती स्थल से जनहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ संख्या-4 में अंकित स्थान पर तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती—			
1	प्रीति कृष्ण, लखनऊ	प्रतीक्षारत	उप निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल
2	अनिल कुमार सोनी, शहडोल (म०प्र०)	चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा	प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज
3	प्रेमनाथ सिंह, सारण (बिहार)	प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज	उप निदेशक, प्रयागराज मण्डल

2—उक्त स्थानान्तरित अधिकारी बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० तथा उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
आर०एल० त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

कार्यालय-आदेश

15 जुलाई, 2021 ई०

सं० 20/2021/आडिट-1-80031/दस-2021—श्री राज्यपाल द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख

कालम-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये कालम-4 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से तैनात किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	अशोक कुमार मिश्र	सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर (स्थानान्तरणाधीन)	जनपद मेरठ
2	विकास चौधरी	जनपद मेरठ	जनपद महाराजगंज

2—सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा नीवन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

23 जुलाई, 2021 ई0

सं० 15/2021/1208/छ:पु०से०-1-2021-01डी०पी०सी०(एसएल-2)/2020—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस अधीक्षक (वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में कार्यरत अधिकारियों की अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2020 में श्री अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध तत्समय विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनके सम्बन्ध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी।

2—श्री अरुण कुमार दीक्षित, के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 793/छ:पु०से०-1-2021-पीएफ-82/2019, दिनांक 28 जून, 2021 द्वारा दोषमुक्त करते हुये समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का अनावरण किया गया।

3—मुहरबन्द लिफाफे में की गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में श्री अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक (ज्येष्ठता क्रमांक-127) को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु० 37,400-67,000, ग्रेड पे रु० 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने एवं इनके सन्निकट कनिष्ठ श्री अनिल कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-129) की इस वेतनमान में प्रोन्नति की तिथि से नेशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—श्री अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक की अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो में प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

अनुभाग-2

कार्यालय-आदेश

26 जुलाई, 2021 ई0

सं0 749डीजी/छ:पु0से0-2-21-547(1)/2015—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के श्री सलमानताज जाफरताज पाटिल, आईपीएस-आरआर-2012 को दिनांक 01 जनवरी, 2021 से भारतीय पुलिस सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे मैट्रिक्स का लेवल-12 रु0 78,800-2,09,200) इस शर्त के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि श्री पाटिल को जब भी मैनेजटरी मिड कैरियर-III (एमटीसीपी-III) प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा, तभी वह उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

02 अगस्त, 2021 ई0

सं0 768डीजी/छ:पु0से0-2-21-पीएफ-5/03(के)—श्री कमल सक्सेना, आईपीएस-आरआर-1988, पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा अ0श0पत्र संख्या पुम-पाकालि-06/2021, दिनांक 08 जुलाई, 2021 को अखिल भारती सेवा (डेथ कम रिटायरमेंट वेनिफिट्स) नियमावली, 1958 के नियम 16(2) के अन्तर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2022 को अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने के पूर्व निजी कारणों से 04 माह पूर्व दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिये आवेदन किया गया।

2—श्री कमल सक्सेना, आईपीएस-आरआर-1988 की दिनांक 25 अगस्त, 1988 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हुई तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को उनकी लगभग 33 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जायेगी। श्री कमल सक्सेना, आईपीएस-आरआर-1988 के प्रार्थना-पत्र में किये गये अनुरोध एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री कमल सक्सेना, आईपीएस-आरआर-1988, पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने में 08 दिवस के विलम्ब को मर्षित करते हुये उनको सेवा पूर्ण होने के 04 माह पूर्व दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान अनुभाग]

प्रकीर्ण

01 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1124/वि0स0/अधि0/6/97टी0सी0—विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या 1088/वि0स0/अधि0/28/80, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा श्रीमती सुनीता माथुर के दिनांक 30 जून, 2021 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधान प्रतिवेदक (निःसंवर्गीय) एवं उसकी श्रृंखला में प्रमुख प्रतिवेदक, मुख्य प्रतिवेदक, उप मुख्य प्रतिवेदक के पद

पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
सर्वश्री / श्रीमती—			
1	मुकुल कुमार साहू, प्रमुख प्रतिवेदक	प्रधान प्रतिवेदक (निःसंवर्गीय)	13-A
2	ओम शंकर मिश्र, मुख्य प्रतिवेदक	प्रमुख प्रतवेदक	13
3	हरिकृष्ण पाल, उप मुख्य प्रतिवेदक	मुख्य प्रतिवेदक	12
4	पूजा तनेजा, प्रतिवेदक	उप मुख्य प्रतिवेदक	11

सं० 1125/वि०स०/अधि०/6/97टी०सी०—श्री राजीव श्रीवास्तव, अनुसचिव का दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को आसामयिक निधन हो जाने के फलस्वरूप रिक्त अनुसचिव के पद तथा उसकी श्रृंखला में अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
सर्वश्री —			
1	सुचित्र कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
2	अर्जुन सिंह, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2—उक्त पदोन्नतियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/वि०स०/अधि०/105/88टी०सी०, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

सं० 1126/वि०स०/अधि०/6/97टी०सी०—विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या 1086/वि०स०/अधि०/16/85, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा श्री दिनेश चन्द्र, विशेष सचिव के दिनांक 30 जून, 2021 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त विशेष सचिव के पद एवं उसकी श्रृंखला में संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव तथा अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
सर्वश्री / श्रीमती—			
1	मोहम्मद मुशाहिद, संयुक्त सचिव	विशेष सचिव	13-A
2	बशीर अली, उपसचिव	संयुक्त सचिव	13

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती-		
3	शरद शुक्ला, अनुसचिव	उपसचिव	12
4	बिपेन्द्र कुमार द्विवेदी, अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
5	सुधा त्रिपाठी, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2-क्रम संख्या-3 4 एवं 5 पर अंकित अधिकारियों की पदोन्नतियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/वि0स0/अधि/105/88टी0सी0, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

सं0 1127/वि0स0/अधि0/6/97टी0सी0-विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या 1091/वि0स0/अधि0/67/87, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा श्रीमती मीना अग्रवाल, उपसचिव के दिनांक 30 जून, 2021 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त उप सचिव के पद एवं उसकी श्रृंखला में अनु सचिव तथा अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है-

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती-		
1	मीनाक्षी सिन्हा, अनुसचिव	उप सचिव	12
2	अखिलेश कुमार, अनुभाग अधिकारी	अनुसचिव	11
3	नीरज कुमार सोनकर, समीक्षा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	10

2-उक्त पदोन्नतियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/वि0स0/अधि/105/88टी0सी0, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

सं0 1128/वि0स0/अधि0/6/97टी0सी0-विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या 1092/वि0स0/अधि0/33/99, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा श्री उमेश मिश्र, अनुभाग अधिकारी के दिनांक 30 जून, 2021 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त अनुभाग अधिकारी के पद पर श्री संतोष कुमार बिन्द को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है।

2-उक्त पदोन्नति कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/वि0स0/अधि/105/88टी0सी0, दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के अधीन होगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

30 जून, 2021 ई०

सं० राज्य कर-1-644/11-2021-28/2020टी०सी०-वाणिज्यकर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यकर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—
1	2433	गरिमा मालवीया
2	2434	हेमलता जायसवाल
3	2435	गरिमा विक्रम सिंह
4	2436	बृजेश कुमार सिंह
5	2437	डा० देवनाथ यादव
6	2438	अभिषेक सिंह
7	2440	सुचित्रा पाण्डेय
8	2441	सुमन चौरसिया
9	2442	लज्जा पाण्डेय
10	2443	गौरव प्रताप सिंह
11	2444	विभा मिश्रा (निर्देश याचिका संख्या 694/2020 में मा० अधिकरण द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन)

सं० राज्य कर-1-645/11-2021-24/2020टी०सी०-वाणिज्यकर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्यकर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—
1	1854	अरविन्द कुमार बालियान

1	2	3
		सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री-
2	1856	जिलाजीत
3	1857	महातम सिंह
4	1858	विवेक सिंह-II
5	1859	हरेन्द्र कुमार-I
6	1860	शैलेश कुमार
7	1861	धनन्जय सिंह
8	1862	संजय कुमार कुशवाहा
9	1866	मिलिन्द राज
10	1867	निधि गुप्ता
11	1868	सत्येन्द्र कुमार गौतम
12	1869	अभय शुक्ला
13	1871	राजकुमार सिंह-II
14	1872	विजय कुमार गौर

तैनाती

06 जुलाई, 2021 ई०

सं० राज्य कर-1-705/11-2021-13/2020-वाणिज्यकर विभाग के श्री प्रदीप कुमार यादव-I, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वेतनमान रु० 37,400-87,000, ग्रेड पे रु० 8,700 पे मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से (वेतनमान 37,400-87,000, ग्रेड पे रु० 8,900 पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

सं० रा०क०-1-246/11-2021-15/18-कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक स्था-1-पी०एफ०-सुश्री प्रतिभा, असिस्टेन्ट कमिश्नर/2020-21/745/वाणिज्यकर, दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से प्राप्त सुश्री प्रतिभा, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्यकर खण्ड-5, लखनऊ के अनुरोध पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2021 पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सुश्री प्रतिभा, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर का गृह जनपद एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता है-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	गृह जनपद	परिवर्तित गृह जनपद
1	2	3	4	5
1	सुश्री प्रतिभा	असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-5, लखनऊ	कानपुर नगर	कानपुर देहात

2-उपरोक्त गृह जनपद परिवर्तन इस शर्त के साथ है कि यह गृह जनपद परिवर्तन उक्त अधिकारी के सेवाकाल में अंतिम होगा।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

खाद्य एवं रसद विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

07 जुलाई, 2021 ई०

सं० रा-502/29-1-2021-01(प्रोन्नति)/94—श्री राजीव कुमार मिश्र, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, बस्ती सम्भाग, बस्ती को नियमित चयनोपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (विभागीय) के पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे-7,600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किया जाता है।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

राज्य सम्पत्ति विभाग

अनुभाग-3

विज्ञप्ति

09 जुलाई, 2021 ई०

सं० एम-1830/बत्तीस-3-2021-02/2021—राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सेक्टर—13, द्वारका, नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित अतिथि गृह का नामकरण सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा "इन्द्रप्रस्थ उ०प्र० अतिथि गृह, नई दिल्ली" किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा० वी०के० सिंह,
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

08 जुलाई, 2021 ई०

सं० 1062/आठ-8-2021-18एलयूसी/2019—चूंकि राज्य सरकार कानपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर महायोजना 2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र "अमर उजाला" तथा "दैनिक जागरण" के संस्करण में दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से एक आपत्ति/सुझाव प्राधिकरण में प्राप्त हुआ। उक्त आपत्ति की सुनवाई उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के माध्यम से गठित समिति द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2019 को सुनवाई कर आपत्ति का निस्तारण किया गया। आपत्ति/सुझाव के निस्तारण संबंधी समस्त अभिलेख प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 12 फरवरी, 2019 में लिये गये निर्णय के क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) 1974 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, कानपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, कानपुर महायोजना 2021 में अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रयोजनार्थ उनके सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु निर्गत गार्डलाइन्स में निर्धारित अवरस्थापना सुविधाओं का विकास पूर्ण कराया जायेगा। उक्त भू-उपयोग परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये किया जा रहा है, अन्यथा की स्थिति में अधिसूचना निरस्त समझी जायेगी—

अनुसूची

क्रमांक	भूमि की स्थलीय स्थिति का विवरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कानपुर महायोजना 2021 के अनुसार भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
1	30.00 मी0 चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित (स्थलीय स्थिति संलग्न सजरा प्लान, सेटलाईट इमेज, कानपुर महायोजना, 2021 के मानचित्र पर दर्शित) राजस्व ग्राम-छतमरा, कानपुर नगर।	424	5344.81	लघु उद्योग	आवासीय

09 जुलाई, 2021 ई0

सं0 889/आठ-8-2021-16एल0यू0सी0/2020—और चूंकि राज्य सरकार ने नियंत्रक प्रधिकारी सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2020 को अनुमोदित प्रस्ताव में अनुसूची के अनुसार शासनादेश संख्या 762/आठ-8-2021-16एल0यू0सी0/2020, दिनांक 01 जून, 2021 को अनुमोदित कर दिया है।

चूंकि शाहजहांपुर महायोजना, 2021 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के संदर्भ में आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" के संस्करण में दिनांक 09 जून, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिये समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश, 1960 के पैरा 10-ख के उपबन्धों के अनुसरण में शाहजहांपुर महायोजना, 2021 की महायोजना में राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	ग्राम	गाटा सं0	रकवा	निर्धारित भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
1	ककरा काकर कुण्ड	2012-ख	0.0920	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र	कार्यालय
2	"	1243	0.5150	कृषि	"
3	"	1930	0.0300	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	"
4	"	1255	0.1000	कृषि	"

1	2	3	4	5	6
			हेक्टेयर		
5	ककरा काकर कुण्ड	1326	0.8070	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र	कार्यालय
6	"	2014	0.0850	"	"
7	"	2015-क	0.2960	"	"
8	"	2016	0.0140	"	"
9	"	2018	1.4350	"	"
10	"	2019-क	0.0620	"	"
11	"	2021	0.0020	"	आवासीय
12	"	2023	0.1780	"	"
13	"	1265	0.4460	"	"
14	"	2043-क	0.0720	"	"
15	"	1065	0.0530	कृषि	कार्यालय
16	"	1244	0.0240	"	"
		16 किता	4,2110		

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

संशोधन/शुद्धि-पत्र

06 जुलाई, 2021 ई०

सं० 110/2021/1490/89-व्या०शि० एवं कौ०वि०वि०-2021-2(56)/2010-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कतिपय कार्यदेशक (फोरमैन) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधानाचार्य श्रेणी-2/उप प्रधानाचार्य/सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये कतिपय शर्तों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से तैनात किये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 52/2021/1मंत्री/89-व्या०शि० एवं कौ०वि०वि०-2021-2(56)/2010, दिनांक 18 मार्च, 2021 में अंकित तालिका के क्रमांक-8 पर अंकित श्री सुरेश कुमार के नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री सुरेश कुमार को रा०औ०प्र० संस्थान, नानपारा नया बहराइच के स्थान पर रा०औ०प्र० संस्थान, नानपारा पुराना बहराइच में प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर तैनात किया जाता है।

2-उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 मार्च, 2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष उपबंध यथावत रहेंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

07 जुलाई, 2021 ई०

सं० 111/2021/43वीआईपी/89-व्या०शि० एवं कौ०वि०वि०-2021-2(56)/2010-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कतिपय कार्यदेशकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधानाचार्य श्रेणी-II/उप प्रधानाचार्य/सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये कतिपय शर्तों के अधीन तैनात किये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 52/2021/1मंत्री/89-व्या०शि० एवं कौ०वि०वि०-2021-2(56)/2010, दिनांक 18 मार्च, 2021 में तालिका के क्रमांक-8 पर अंकित श्री सुरेश कुमार के नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित संस्थान

में संशोधन विषयक शासन के संशोधन/शुद्धि-पत्र संख्या 110/2021/1490/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2021-2(56)/2010, दिनांक 06 जुलाई, 2021 में अंकित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नानपारा पुराना, बहराईच को संशोधित करते हुये श्री सुरेश कुमार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्व बैंक (महिला) कटरा, प्रयागराज में प्रधानाचार्य श्रेणी-II के पद पर तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है।

2—उक्त संशोधन/शुद्धि पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष उपबंध यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,
हरिकेश चौरसिया,
विशेष सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

14 जुलाई, 2021 ई0

सं0 R-393/38-1-2021-1पदोन्नति/2016—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री रंजीत सिंह, उपायुक्त (स्वतः रोजगार) मैनपुरी को संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री रंजीत सिंह अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

11 जून, 2021 ई0

सं0 57/2021/951/23-3-2021-22ई0एस0/2020—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री दया राम को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री दया राम, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

10 जून, 2021 ई0

सं0 58/2021/921/23-3-2021-19ई0एस0/2020—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राकेश सक्सेना को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1

(सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु० 10,000 पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं० 59/2021/929/23-3-2021-19ई०एस०/2020—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु० 10,000 पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं० 60/2021/932/23-3-2021-19ई०एस०/2020—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सत्य प्रकाश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु० 10,000 पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री सत्य प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

17 जून, 2021 ई०

सं० 61/2021/907/23-3-2021-47ई०एस०/06टी०सी०—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग में तैनात निम्नलिखित प्रमुख अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित प्रभार अत्यन्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	कार्यभार
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	प्रदीप कुमार सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
2	रमा शंकर, प्रमुख अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन) लोक निर्माण विभाग
3	मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता	प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग

2—श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता के यूपीडा से कार्य मुक्त होने तक प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग का कार्य श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से देखा जायेगा।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पदोन्नति

18 जून, 2021 ई0

सं0 62/2021/941/23-3-2021-22(ई0एस0)/2020टी0सी0-उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री गोविन्द सागर वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-1922) को उनके कनिष्ठ श्री संजय गुप्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-1965) की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 02 नवम्बर, 2020 से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री गोविन्द सागर वर्मा की उक्त पदोन्नति निर्देश याचिका संख्या 166/2020 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3-श्री गोविन्द सागर वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 63/2021/968/23-3-2021-22(ई0एस0)/2020टी0सी0-उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अवधेश शरण चौरसिया (ज्येष्ठता क्रमांक-2035) को उनके कनिष्ठ श्री चन्द्रशेखर प्रसाद गुप्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-2036) की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 18 जनवरी, 2021 से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री अवधेश शरण चौरसिया, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

अनुभाग-8

पदोन्नति

30 जून, 2021 ई0

सं0 05/2021/1080/23-8-2021-66(पी0डब्ल्यू0)अधि0/19-श्री प्रदीप रस्तोगी, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उनसे कनिष्ठ श्री देवेश कुमार की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 25 मई, 2012 से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डॉ0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव।

अनुभाग-3

तैनाती

12 जुलाई, 2021 ई0

सं0 72/2021/2021/23-3-2021-47ई0एस0/06टी0सी0-तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग में तैनात श्री राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प/नियोजन) का प्रभार अत्यन्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

सं० 73/2021/2082/23-3-2021-21(ई०एस०)/2020टी०सी०—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री किशोर कुमार पाहूजा (ज्येष्ठता क्रमांक-1809) को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु० 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री संजय कुमार तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक-1810) की मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 30 जून, 2021 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक/नियमित पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री किशोर कुमार पाहूजा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

शुद्धि-पत्र

15 जुलाई, 2021 ई०

सं० 3033/23-3-2021-10ई०एस०/2021—लोक निर्माण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3026/23-3-2021-10ई०एस०/2021, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा 03 मुख्य अभियन्ता (वि०/या०) को नवीन तैनाती के पदों पर तैनात किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये गये। उक्त कार्यालय ज्ञाप में सम्बन्धित अभियन्ताओं के पदनाम मुख्य अभियन्ता (वि०/या०) के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य अधिकारी (वि०/या०) टंकित हो गया है।

2—अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 3026/23-3-2021-10ई०एस०/2021, दिनांक 14 जुलाई, 2021 में अंकित मुख्य अधिकारी (वि०/या०) के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (वि०/या०) पढ़ा जाय।

3—कार्यालय ज्ञाप संख्या 3026/23-3-2021-10ई०एस०/2021, दिनांक 14 जुलाई, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

सं० 3044/23-3-2021-11ई०एस०/2021—लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के स्थानान्तरण/तैनाती विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 3027/23-3-2021-11ई०एस०/2021, दिनांक 14 जुलाई, 2021 के क्र०-7, 8, 24, 28, 31, 36, 49 व 58 पर अंकित अभियन्ताओं का किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर तैनात किया जाता है—

क्र०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1	विजय कनौजिया	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, लो०नि०वि०, प्रयागराज।
2	तारा चन्द्र रवि	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (रा०मा०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
3	अरविन्द कुमार जैन	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर।
4	राधेश्याम शर्मा	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर।
5	जय सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, लो०नि०वि०, गोरखपुर।

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
6	सुनील कुमार कठेरिया	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकर नगर वृत्त, लो०नि०वि०, अयोध्या।
7	चन्द्र शेखर प्रसाद गुप्ता	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लो०नि०वि०, बलिया।
8	नरेन्द्र कुमार यादव	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़-फतेहपुर वृत्त, लो०नि०वि०, प्रतापगढ़।

2—कार्यालय ज्ञाप संख्या 3027/23-3-2021-11ई०एस०/2021, दिनांक 14 जुलाई, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सं० 3044(1)/23-3-2021-ई०एस०/2021—तात्कालिक प्रभाव से अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधीक्षण अभियन्ता (वि०/यां०) को स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर तैनात किया जाता है—

क्र०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	राजेश मोहन श्रीवास्तव	44वां वृत्त (वि०/यां०), लो०नि०वि०, वाराणसी	अधीक्षण अभियन्ता, 17वां वृत्त (वि०/यां०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2	आदर्श कुमार गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, 17वां वृत्त (वि०/यां०), लो०नि०वि०, लखनऊ	44वां वृत्त (वि०/यां०), लो०नि०वि०, वाराणसी।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

परिवहन विभाग

अनुभाग-3

नियुक्ति

01 जुलाई, 2021 ई०

सं० 1408/तीस-3-2021—लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 के आधार पर उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) हेतु चयनित एवं संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय वेतन बैंड-3, वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु० 56,100-1,77,500) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान कतरे हुये प्रशिक्षण हेतु परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में तैनात करते हैं—

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	तैनाती का स्थल
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
1	गौरी शंकर ठाकुर	मधुबनी, बिहार	कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उ०प्र० टिहरी कोठी, लखनऊ

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती-		
2	इज्या तिवारी	लखनऊ	कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उ०प्र० टिहरी कोठी, लखनऊ
3	गौरव कुमार शर्मा	लखनऊ	-तदेव-
4	प्रतिभा गौतम	कन्नौज	-तदेव-
5	सतेन्द्र कुमार	उरई, जालौन	-तदेव-

2-उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आधारभूत प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसकी व्यवस्था परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा की जायेगी। संबंधित अधिकारियों का सेवा में बना रहना, निर्धारित प्रशिक्षण का सन्तोषजनक ढंग से उनके द्वारा सम्पन्न करने के अधीन होगा।

3-उपरोक्तानुसार नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(1) उपर्युक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। प्रशिक्षण काल की अवधि परिवीक्षा अवधि में शामिल होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ायी भी जा सकती है।

(2) इनकी नियुक्ति पूर्णरूपेण अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा इसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

(3) इनकी सेवायें उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली 1990 के अधीन होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(4) इनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ इनकी ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(5) तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

होमगार्ड्स विभाग

प्रोन्नति

30 जून, 2021 ई०

सं० 24/2021/1168/पन्चानबे-2021-210होगा/10-उ०प्र० होमगार्ड्स सेवा नियमावली, 1982 (समूह 'ख' के नियम 5 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के अधीन उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति दिनांक 05 फरवरी, 2021 के आधार पर श्री राज्यपाल होमगार्ड्स संगठन के निरीक्षक संवर्ग के अधोअंकित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स सेवा समूह 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन रु० 56,100-1,77,500 (मैट्रिक्स का लेवल-10) में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1	2	3	4
1	56	श्री विनोद कुमार सिंह	2020-2021

2—सम्बन्धित अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने तैनाती स्थान पर यथावत् बने रहेंगे।

3—उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किये माने जायेंगे और परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

4—उक्त पद के पदधारक को एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स संवर्ग के समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

5—सम्बन्धित अधिकारी को वेतन एवं समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

16 जुलाई, 2021 ई०

सं० 938/81-1-2021-09/2021—कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक नि०सां० 02/10-2-6(एस०ओ०), दिनांक 05 जुलाई, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री मुकेश बहादुर, सांख्यिकीय अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से सेवानिवृत्ति माने जायेंगे।

आज्ञा से,
डा० ब्रह्म देव राम तिवारी,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 अगस्त, 2021 ई० (श्रावण 16, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

13 जुलाई, 2021 ई०

सं० स्था०-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/1016/वाणिज्य-कर-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी 39, ग्राम विल्सडा, पोस्ट मानपुरहरी, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी, उ०प्र०-205301 (अनुक्रमांक-041245) को वाणिज्य-कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु० 9,300-34,800-+ ग्रेड पे रु० 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :

1-श्री योगेश कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2-श्री योगेश कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3-श्री योगेश कुमार की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4-श्री योगेश कुमार को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन, नोएडा के कार्यालय में आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

5—श्री योगेश कुमार को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

श्री योगेश कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था0-2-नियुक्ति-2017—बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/1017/वाणिज्य-कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री पूजा पाल पुत्री स्व0 इन्द्रसेन बहादुर पाल द्वारा श्री विनोद सिंह, 52 शिवाजीनगर कालोनी, रानीबाग सेक्टर 4, पथरा, पोस्ट बड़गो, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0-273016 (अनुक्रमांक-445826) को वाणिज्य-कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800-+ ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :

1—सुश्री पूजा पाल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री पूजा पाल का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री पूजा पाल की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—सुश्री पूजा पाल को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—सुश्री पूजा पाल को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर अयोध्या जोन, अयोध्या के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री पूजा पाल को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्त होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मिनिस्ती एस0,
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

30 जून, 2021 ई0

सं0 2381/आठ-27/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक

03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 1131/आठ-1-17-08विविध/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(1)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पतवाड़ी, परगना व तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की 31.0430 हे0 ग्रामसभा भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 159/डी0एल0आर0सी0/2021-22, दिनांक 30 जून, 2021 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर संलग्न अनुसूची में अंकित भूमि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास हेतु प्रतिकर की धनराशि रु0 108,65,05,000.00 एवं पंजीकृत मूल्य रु0 2,32,823.00 सहित कुल रु0 108,67,37,823.00 जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुनर्गृहीत सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में आरक्षित करने की शर्त के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	कुल क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	पतवाड़ी	सूची संलग्न	31.0430	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास हेतु।

संलग्नक

राजस्व ग्राम पतवाड़ी, परगना दादरी, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव की सूची (शासन आदेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8/2012) की धारा 59 उपधारा 2 के खण्ड (दो), (पांच) व (छः) से आच्छादित—

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	6	0.051	चकमार्ग
				11	0.085	चकमार्ग
				18	0.031	चकमार्ग
				20	0.493	रास्ता
				23	0.051	चकमार्ग
				27	0.089	चकमार्ग
				31	1.163	सड़क पुख्ता
				37	0.224	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	55	0.044	चकमार्ग
				64	0.181	चकमार्ग
				69	0.044	चकमार्ग
				77	0.134	चकमार्ग
				90	0.016	चकमार्ग
				95	0.350	मुख्य मार्ग
				101	0.047	चकमार्ग
				104	0.076	चकमार्ग
				109	0.276	चकमार्ग
				115	0.057	चकमार्ग
				122	0.261	मुख्य मार्ग
				137	0.013	चकमार्ग
				138	0.326	मुख्य मार्ग
				147	0.386	मुख्य मार्ग
				148	0.139	चकमार्ग
				152	0.127	चकमार्ग
				153	0.013	चकमार्ग
				158	0.044	मुख्य मार्ग
				160	0.029	चकमार्ग
				179	0.142	चकमार्ग
				182	0.219	चकमार्ग
				194	0.130	चकमार्ग
				196	2.308	सड़क
				198	0.139	सड़क
				204	0.041	चकमार्ग
				212	0.051	चकमार्ग
				214	0.120	चकमार्ग
				217	0.041	चकमार्ग
				225	0.066	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	236	0.259	मुख्य मार्ग
				246	0.047	चकमार्ग
				251	0.158	चकमार्ग
				259	0.477	मुख्य मार्ग
				262	0.085	चकमार्ग
				270	0.020	चकमार्ग
				283	0.003	नाली
				284	0.033	नाली
				285	0.216	मुख्य मार्ग
				286	0.370	मुख्य मार्ग
				291	0.098	चकमार्ग
				305	0.721	मुख्य मार्ग
				306	0.095	चकमार्ग
				311	0.090	चकमार्ग
				323	0.018	चकमार्ग
				325	0.255	मुख्य मार्ग
				341	0.099	चकमार्ग
				348	0.045	चकमार्ग
				351	0.025	रास्ता
				354	0.013	रास्ता
				356	0.066	चकमार्ग
				362	0.291	रास्ता
				363	0.051	मुख्य मार्ग
				364	0.689	मुख्य मार्ग
				367	0.083	चकमार्ग
				375	0.255	मुख्य मार्ग
				380	0.052	चकमार्ग
				390	0.037	चकमार्ग
				394	0.142	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	404	0.278	मुख्य मार्ग
				405	0.469	मुख्य मार्ग
				408	0.085	चकमार्ग
				413	0.021	चकमार्ग
				425	0.212	मुख्य मार्ग
				437	0.043	चकमार्ग
				443	0.024	चकमार्ग
				446	0.266	रास्ता
				450	0.017	चकमार्ग
				472	0.316	रास्ता
				534	0.028	चकमार्ग
				536	0.089	चकमार्ग
				538	0.589	मुख्य मार्ग
				545	0.129	चकमार्ग
				553	0.038	चकमार्ग
				555	0.044	चकमार्ग
				558	0.049	चकमार्ग
				559	0.047	चकमार्ग
				572	0.013	चकमार्ग
				574	0.016	चकमार्ग
				577	0.132	मुख्य मार्ग
				584	0.035	चकमार्ग
				587	0.117	चकमार्ग
				591	0.054	चकमार्ग
				597	0.190	चकमार्ग
				598	0.076	चकमार्ग
				608	0.032	चकमार्ग
				613	0.076	मुख्य मार्ग
				614	0.126	मुख्य मार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	636	0.278	मुख्य मार्ग
				656	1.441	रास्ता
				667	0.092	चकमार्ग
				669	0.013	चकमार्ग
				677	0.034	चकमार्ग
				679	0.081	चकमार्ग
				682	0.025	चकमार्ग
				683	0.017	चकमार्ग
				688	0.249	मुख्य मार्ग
				689	0.034	चकमार्ग
				715	0.752	रास्ता
				716	0.013	चकमार्ग
				723	0.183	मुख्य मार्ग
				724	0.077	चकमार्ग
				726	0.028	चकमार्ग
				735	0.369	मुख्य मार्ग
				742	0.104	चकमार्ग
				743	0.056	चकमार्ग
				748	0.027	चकमार्ग
				749	0.016	नाली
				752	0.021	नाली
				754	0.025	नाली
				755	0.133	मुख्य मार्ग
				759	0.028	नाली
				763	0.259	मुख्य मार्ग
				772	0.045	नाली
				773	0.020	चकमार्ग
				774	0.448	मुख्य मार्ग
				780	0.047	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	783	0.024	नाली
				793	0.003	नाली
				796	0.027	नाली
				797	0.052	चकमार्ग
				802	0.004	चकमार्ग
				806	0.006	नाली
				808	0.032	रास्ता
				811	0.063	नाली
				817	0.177	रास्ता
				826	0.126	चकमार्ग
				846	0.015	चकमार्ग
				850	0.035	चकमार्ग
				851	0.030	चकमार्ग
				857	0.025	चकमार्ग
				859	0.055	चकमार्ग
				889	0.073	नाली
				899	0.086	चकमार्ग
				902	0.591	मुख्य मार्ग
				903	0.105	नाली
				904	0.126	चकमार्ग
				914	0.086	चकमार्ग
				917	0.031	चकमार्ग
				935	0.064	चकमार्ग
				936	0.280	मुख्य मार्ग
				942	0.025	चकमार्ग
				944	0.027	चकमार्ग
				948	0.019	चकमार्ग
				956	0.109	चकमार्ग
				971	0.039	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	973	0.042	चकमार्ग
				977	0.026	चकमार्ग
				985	0.007	चकमार्ग
				991	0.003	चकमार्ग
				995	0.013	नाली
				996	0.620	नाली
				1004	0.008	नाली
				1007	0.028	नाली
				1012	0.010	नाली
				1013	0.050	चकमार्ग
				1019	0.024	नाली
				1020	0.145	मुख्य मार्ग
				1026	0.114	चकमार्ग
				1027	0.070	नाली
				1032	0.023	नाली
				1033	0.035	चकमार्ग
				1034	0.059	नाली
				1040	0.102	चकमार्ग
				1041	0.052	नाली
				1044	0.010	नाली
				1048	0.050	चकमार्ग
				1050	0.709	रास्ता
				1052	0.153	चकमार्ग
				1063	0.006	चकमार्ग
				1071	0.046	चकमार्ग
				1073	0.097	चकमार्ग
				1079	0.280	चकमार्ग
				1080	0.146	चकमार्ग
				1085	0.021	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	1091	0.045	चकमार्ग
				1096	0.025	चकमार्ग
				1119	0.013	चकमार्ग
				1130	0.022	चकमार्ग
				1131	0.022	चकमार्ग
				1132	0.069	चकमार्ग
				1133	0.044	चकमार्ग
				1140	0.006	चकमार्ग
				1141	0.028	चकमार्ग
				1146	0.076	चकमार्ग
				1147	0.297	मुख्य मार्ग
				1154	0.102	चकमार्ग
				1156	0.019	चकमार्ग
				1160	0.028	चकमार्ग
				1172	0.003	चकमार्ग
				1174	0.316	मुख्य मार्ग
				1179	0.126	चकमार्ग
				1198	0.042	चकमार्ग
				1199	0.016	चकमार्ग
				1202	0.354	रास्ता
				1203	0.054	चकमार्ग
				1207	0.055	चकमार्ग
				1213	0.025	नाली
				1214	0.142	चकमार्ग
				1219	0.126	मुख्य मार्ग
				1220	0.052	चकमार्ग
				1224	0.124	मुख्य मार्ग
				1246	0.114	चकमार्ग
				1270	0.009	चकमार्ग

1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	पतवाड़ी	1284	0.063	सड़क
				1286	0.038	मुख्य मार्ग
				1289	0.316	रास्ता
				1295	0.190	मुख्य मार्ग
				1296	0.020	चकमार्ग
				1297	0.040	चकमार्ग
				1299	0.009	चकमार्ग
				1300	0.019	चकमार्ग
				1301	0.025	चकमार्ग
				1307	0.139	चकमार्ग
				1312	0.008	चकमार्ग
				1314	0.019	चकमार्ग
				1317	0.188	सड़क
				1321	0.464	मुख्य मार्ग
				1325	0.076	चकमार्ग
				1339	0.167	चकमार्ग
				30 / 1342	0.044	मुख्य मार्ग
				261 / 1343	0.038	रास्ता
				789 / 1347	0.053	चकमार्ग
				998 / 1348	0.015	नाली
				1207 / 1358	0.085	चकमार्ग
				296 / 1360	0.063	चकमार्ग
				योग . .	31.0430	

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

01 जुलाई, 2021 ई0

सं0 347(iv)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने

अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना की नगर पंचायत, चण्डौस के कार्यालय/भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 818/नौ-5-19-56सा/2018, नगर विकास अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 07 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	गभाना	चण्डौस	चण्डौस	1001/2	0.311	5-3-ड बंजर	नगर पंचायत, चण्डौस के कार्यालय/भवन निर्माण हेतु। नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

झांसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

03 जुलाई, 2021 ई0

सं० 570/12-ए/डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2021-22-उ०प्र० सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झांसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा मैरी, तहसील व जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर लेता हूं :

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झांसी	झांसी	झांसी	मैरी	99-मि०	0.364	श्रेणी 5 (3) बंजर	प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय झांसी मण्डल, झांसी के निर्माण हेतु।

(निःशुल्क)

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी,
झांसी।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञायें

03 जुलाई, 2021 ई0

सं0 776/बारह-ए/भू0व्य0 (पुनर्ग्रहण)/21-22-अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी महसी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुसार पशु चिकित्सालय भगवानपुर की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हैं :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	महसी	फखरपुर	भगवानपुर	685-मि0	0.158 में से 0.081	श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	पशु चिकित्सालय भगवानपुर विभाग, उ0प्र0।

07 जुलाई, 2021 ई0

सं0 783/बारह-ए/भू0व्य0 (पुनर्ग्रहण)/21-22-अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी सदर, बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016,

दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र चफरिया की स्थापना हेतु पशुपालन विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हैं :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	बहराइच	बहराइच	चफरिया	1507-च	6.147 में से 1.215	श्रेणी 5-1/ कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद)	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र चफरिया, पशुपालन विभाग, बहराइच, उ0प्र0

डा0 दिनेश चन्द्र,
जिलाधिकारी,
बहराइच।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

17 मई, 2021 ई0

सं0 2347/जी0-160/67-रिट याचिका संख्या 1524/बी0/2020 राम अक्षैबर तिवारी व 02 अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या 4941/वि0प्र0/सा0, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 द्वारा ग्राम पतैयां, तहसील हण्डिया, जनपद प्रयागराज को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तथा समविषयक प्रत्यावेदन दिनांक 06 फरवरी, 2020 निस्तारित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील हण्डिया,

जनपद प्रयागराज के ग्राम पतैयां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 3887/जी0-160-67-06, दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

सं0 2348/जी0-61/2020-21/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के ग्राम बहजोई में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 4920/जी0-610/2012, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

सं0 2349/जी0-175/59-98-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान

के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, परगना इकौना, जनपद बहराइच के ग्राम पुरैना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2350/जी0-362/60-90—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरेन्दा, परगना हवेली, जनपद महाराजगंज के ग्राम बचगंगपुर, तप्प लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2351/जी0-226/62-08—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम रानीपुरदत्त में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

31 मई, 2021 ई0

सं0 2384/जी0-15/54/80-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, परगना जगदीशपुर, जनपद अमेठी के ग्राम निहालगढ़ सैदापट्टी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2385/जी0-356-A/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मिल्कीपुर, परगना खण्डासा, जनपद अयोध्या के ग्राम माझगांव में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

07 जून, 2021 ई0

सं0 2426/जी0-364/54/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2427/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद मीरजापुर के ग्राम झेलमपुर, तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2428/जी0-177/66/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी, परगना मिझौड़ा, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम इटवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2429/जी0-175/59-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर, परगना बहराइच, जनपद बहराइच के ग्राम सेवड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

09 जून, 2021 ई0

सं0 2452/जी0-355/60-08(1) —उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व, परगना अमरोहा, जनपद अमरोहा के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	2	3	4
अमरोहा	अमरोहा	1	मोहडी जट
		2	इकौन्दा

सं0 2453/जी0-265/54-87—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सैदपुर, जनपद गाजीपुर के ग्राम पहाड़पुर विशम्भर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2454/जी0-48/54-80—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा

प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम करीमुद्दीनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2455/जी0-48ए/54-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम रजथरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2460/जी0-153/61-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम हृदयपुर उर्फ अन्धरपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 जून, 2021 ई0

सं02483/जी0-धारा-6(1)48/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम अमिलो में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4-क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 4733/जी0-48-80, दिनांक 13 अप्रैल, 1992 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 2484/जी0-229/62-2015—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम दीपपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2485/जी0-229/62-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम ढक्का में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2486/जी0-151/65-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर, परगना कुर्सी, जनपद बाराबंकी के ग्राम खिड़ना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2487/जी0-156/68-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिलासपुर, जनपद रामपुर के ग्राम शमशाबाद में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

16 जून, 2021 ई0

सं0 2503/जी0-156/67-08-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जखनियां, परगना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर के ग्राम करकापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2504/जी0-265/54-87-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या

1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सैदपुर, जनपद गाजीपुर के ग्राम बौरवां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2508/जी0-177A/66-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अकबरपुर, परगना मिझौड़ा, जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम हाथपाकड़ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2509/जी0-163/59(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई, परगना शरह दक्षिणी, जनपद हरदोई के ग्राम पाटकुआँ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

18 जून, 2021 ई0

सं0 2515/जी0-152ए/69-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पटिहन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2516/जी0-43/54-80(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रामपुर मनिहारान, परगना देवबन्द, जनपद सहारनपुर के ग्राम शब्बीरपुर अहतमाल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2517/जी0-161/59-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती, परगना नगर पूरब, जनपद बस्ती के ग्राम गंगापुर, तप्पा गनेशपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

24 जून, 2021 ई0

सं0 2586/जी0-164/59-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल, जनपद कोशाम्बी के ग्राम भोपतपुर उपरहार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2587/जी0-153/61-15-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर, जनपद बरेली के ग्राम नवादा विलसण्डी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2588/जी0-361/60-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0 सी0 आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार की उपधारा (1-क) की उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना हवेली, जनपद जौनपुर के ग्राम नेवादा ईश्वरी सिंह में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

08 जुलाई, 2021 ई0

सं0 2817/जी0-धारा-266-ए/97-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कैम्पियरगंज, परगना हवेली, जनपद गोरखपुर के ग्राम बान तप्पा पचवारा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है।

सं0 2818/जी0-181/66/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम बेला तप्पा चोड़र में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है।

सं0 2819/जी0-355/60-2015—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अमरोहा, जनपद अमरोहा के ग्राम कालीलेट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 अगस्त, 2021 ई० (श्रावण 16, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, शाहजहाँपुर

27 जुलाई, 2021 ई०

सं० 253/क०अनु०-न०नि०शाह०/उपविधि/2021-22-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू विक्रेताओं के लिये तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि, 2021 को बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है। इस उपविधि को दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक 18 जून, 2021 "तरुण मित्र" समाचार-पत्र में दिनांक 18 जून, 2021 को एवं "शेखर टाइम्स" समाचार-पत्र में दिनांक 19 जून, 2021 प्रकाशित कर 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये गये थे। प्रकाशित करायी गयी विज्ञप्ति के विरुद्ध निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

नगर निगम, शाहजहाँपुर तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण,

विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि, 2021

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि नगर निगम, शाहजहाँपुर (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2021 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार नगर निगम, शाहजहाँपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
- (3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2-तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता-

- (1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, नगर निगम सीमा से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

3-वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क-

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेन्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थाई दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिये रु0 5,000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रु0 5,000.00 फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिये रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4-तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन-

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा-

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जाएगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6'अ' के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5-नियम एवं शर्तें-

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए एक वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल से मार्च के लिए ही मान्य होगा।

(5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा करना अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा निलम्बन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमर्शियल, मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी

सम्मिलित होंगी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों की ही विक्री करेगा।

6—पंजीकरण प्रक्रिया—

(1) नगर निगम, शाहजहाँपुर में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, शाहजहाँपुर के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के सन्दर्भ में नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7—नामित अधिकारी—

नगर निगम, शाहजहाँपुर में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस में अनुज्ञापित लाइसेंस जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

सन्तोष कुमार शर्मा,

नगर आयुक्त,

नगर निगम, शाहजहाँपुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बांदा

31 मार्च, 2021 ई0

सं0 2076/SWM/न0पा0परि0बांदा/2021-22—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, बांदा, जनपद बाँदा क्षेत्र के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 को लागू किये जाने हेतु तैयार की गयी है। उक्त अधिनियम को दैनिक समाचार पत्र "वायस आफ लखनऊ" दिनांक 01 अप्रैल, 2021 एवं "नव कर्मयुग" दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में प्रकाशन कराकर 30 दिनों के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त होने की दशा में नगरपालिका परिषद्, बांदा की बोर्ड बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2021 प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि

प्रस्ताव

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगरपालिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट शुल्क आरोपित उपविधियां।

नियमावली/उपविधियां

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृत्ति।

2—यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषाएँ—5 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में—

- (क) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
 (ख) नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाँदा से है।
 (ग) शुल्क का तात्पर्य नगरपालिका में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।
 (घ) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, बाँदा, जनपद-बाँदा से है।
 (ङ) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पालिका परिषद् बाँदा, जनपद बाँदा द्वारा अधिकृत किया गया हो।

3—नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगरपालिका परिषद्, बाँदा, जनपद बाँदा की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4—नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बाँदा, जनपद बाँदा को होगा।

5—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगे अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे :

क्र0 सं0	क्षेत्र का विवरण	निर्धारित मासिक दरें
1	2	3
		रु0
1	50 वर्ग मीटर से अधिक के मकान। 300 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र	30.00
2	300 वर्ग मीटर के साथ मकान। बिल्ट-अप क्षेत्र	50.00
3	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, खाने के स्थान (ढाबा/मिठाई की दुकानें/कॉफी हाउस आदि)	100.00
4	गेस्ट हाउस	500.00
5	होटल रेस्तरां (3 स्टार तक)	1,500.00
6	होटल रेस्तरां (3 स्टार से अधिक)	3,000.00
7	वाणिज्यिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक बीमा कार्यालय, कोचिंग कक्षाएं, शिक्षण संस्थान आदि	200.00
8	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं (50 बेड तक)	1,000.00
9	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं (50 से अधिक बेड)	2,000.00
10	लघु और कुटीर उद्योग कार्यशालाएं (केवल गैर-खतरनाक), प्रतिदिन 10 किलो तक का अपशिष्ट	50.00
11	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर-खतरनाक)	500.00
12	मैरिज हॉल, त्यौहार हॉल, प्रदर्शनी और मेले जिसमें 3000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र हो	2,000.00
13	मैरिज हॉल, फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी और मेरे जिसमें 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र हो	3,000.00

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक वसूल किया जायेगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, बाँदा, जनपद बाँदा में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
 अध्यक्ष,
 नगरपालिका परिषद्,
 बाँदा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कामिनी कंस्ट्रक्शन, कामिनी सदन हाउस नं0 190/106सी बिलन्दपुर, बांसगांव कालोनी, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 अगस्त, 2011 से श्रीमती कामिनी सिंह एवं श्री अशोक कुमार सिंह जी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या जी-3211 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से श्रीमती कामिनी सिंह जी उक्त फर्म से रिटायर्ड हो चुकी हैं तथा डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से श्रीमती पूनम सिंह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई हैं, किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

अशोक कुमार सिंह,
साझेदार।

सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कोणार्क इलेक्ट्रिक सेल्स पता-49, सनसिटी, रुड़की रोड, मेरठ में कुल तीन पार्टनर थे। जिसमें से दो पार्टनर 1—श्री कोणार्क जैन तथा 2—श्री नितीश शर्मा फर्म से अलग हो गये हैं। इनका सभी लेन-देन चुकता हो गया है तथा भविष्य में इसका फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा और इनके स्थान पर एक पार्टनर 1—श्री अमल कश्यप आ गये हैं तथा वर्तमान में 2 पार्टनर फर्म को संचालन करेंगे। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं— 1—श्री अशोक कुमार और 2—श्री अमन कश्यप तथा दिनांक 03 जुलाई, 2021 ई0 से प्रवेश कर रहे हैं। इस फर्म में हिस्सा साझेदारों में निश्चित किये गये, नये अनुपात में ही बांटा जायेगा।

फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है। जिसमें फर्म का पुराना पता 36ए, एफ-1, नवीन पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद को बदलकर नया पता-49, सनसिटी, रुड़की रोड, मेरठ कर दिया गया है।

पार्टनर,
अशोक कुमार,
मेसर्स कोणार्क इलेक्ट्रिक सेल्स,
49, सनसिटी, रुड़की रोड, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर्यन इंटरप्राइजेज आर0/ओ0 14/380, लेन नं0-1, राघव नगर, देवरिया, जिला देवरिया, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 02 मार्च, 2019 से श्रीमती कैलाशवती त्रिपाठी, श्रीमती रेनू अग्रवाल एवं श्री रजत मणि त्रिपाठी जी साझेदार थे। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से खाटूधाम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, सी0आई0एन0 U51909UP2007PTC033522 एच0/ओ0 सि0/ओ0 कुन्ज बिहारी अग्रवाल, अग्रवाल सदन, गोकुल अतिथि भवन के पीछे, सिविल लाइन्स, गोरखपुर, उ0प्र0 अपने डायरेक्टर श्रीमती रेनू अग्रवाल के माध्यम से उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं, किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

कैलाशवती त्रिपाठी,
साझेदार।

सूचना

फर्म मे0 नरेन्द्र कन्स्ट्रक्शन सिविल लाईन फैंज ए आम स्कूल मथुरा पंजीकरण संख्या एजी-13162, दिनांक 31 मार्च, 2019 को साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म का विघटन कर दिया गया है फर्म का लेन-देन बकाया किसी पर भी नहीं है।

नरेन्द्र यादव,
साझेदार,
मे0 नरेन्द्र कन्स्ट्रक्शन,
सिविल लाईन फैंज ए आम स्कूल मथुरा।

सूचना

फर्म M/s. METAFAB ENGINEERING ASSOCIATES 19, 83 INDUSTRIAL ESTATE NUNHAI AGRA रजिस्ट्रेशन नम्बर AGR/0008877 की साझेदारी में दिनांक 04 मई, 2021 को श्रीमती मीरारानी गुप्ता पत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता, निवासी 62 शिवपुरी बल्केश्वर रोड, आगरा, अंकुर गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता, निवासी 62 शिवपुरी बल्केश्वर रोड, आगरा, विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री भवानी प्रसाद गुप्ता, निवासी 62 शिवपुरी बल्केश्वर रोड, आगरा उक्त फर्म की साझेदारी से

अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गयी हैं। वर्तमान में फर्म में साझीदार श्रीमती शालिनी जैन, श्री दीपक जैन हैं।

श्रीमती शालिनी जैन,
साझेदार,
M/s. METAFAB ENGINEERING,
ASSOCIATES 19, 83 INDUSTRIAL,
ESTATE NUNHAI AGRA.

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 मीराज एस्टेट एण्ड डबलपर्स, 511, फ्रैण्ड्स पैराडाइज अपार्टमेन्ट, खन्दारी, आगरा-282002 परिवर्तित पता-बी-124, कमला नगर, आगरा में श्रीमती पायल मंगल पत्नी श्री आशीष मंगल व श्रीमती मंजू मंगल पत्नी श्री राकेश कुमार मंगल, निवासीगण बी-124, कमला नगर, आगरा, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं तथा फर्म के पूर्व प्रथम पक्ष श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 महेश चन्द अग्रवाल व द्वितीय पक्ष प्रीति अग्रवाल पुत्री श्री कैलाश चन्द गोयल, निवासीगण-511, फ्रैण्ड्स पैराडाइज अपार्टमेन्ट, खन्दारी, आगरा, दिनांक 07 जुलाई, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्रीमती पायल मंगल व श्रीमती मंजू मंगल भागीदार हो गये हैं।

पायल मंगल,
भागीदार,
मे0 मीराज एस्टेट एण्ड डबलपर्स,
बी-124, कमला नगर, आगरा।

सूचना

फर्म मेसर्स गनपति आरएमसी एनएच-2 छटीकरा मथुरा रजिस्ट्रेशन नम्बर MAT/0001345 की साझीदारी में दिनांक 22 मार्च, 2021 को यदुराज सिंह यादव, आदित्य सिंह, परिक्षित सिंह, शुभांगी सिंह सम्मिलित हुये तद्दिनांक को सौरभ प्रताप सिंह, भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये वर्तमान में भागीदार श्रीमती वीना यादव, श्री यदुराज सिंह यादव, श्री आदित्य सिंह, श्री परिक्षित सिंह, शुभांगी सिंह हैं।

वीना यादव,
साझेदार,
मेसर्स गनपति आरएमसी,
एनएच-2, छटीकरा, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता स्व0 जगदीश कुशवाहा जो 508 आर्मी बेस वर्कशाप में कार्यरत थे उनकी सेवा पुस्तिका में भूलवश मेरा नाम सीमा कुशवाहा के स्थान पर कु0 सीमा अंकित हो गया था उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं भविष्य में मुझे सीमा कुशवाहा के नाम से ही जाना जावे व पहचाना जाये। सीमा कुशवाहा पुत्री स्व0 जगदीश कुमार कुशवाहा, निवासी 128/76ए नयापुरा करैली, प्रयागराज।

SEEMA KUSHWAHA.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "रूप चन्द ठेकेदार" ग्राम पटिया, पो0 मिलक, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को श्री महेंद्र पाल गंगवार पुत्र श्री रूपचन्द, निवासी ग्राम पटिया, पो0 मिलक, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा दिनांक 27 जुलाई, 2021 को श्री मिलन गंगवार पुत्र श्री रूप चन्द गंगवार, निवासी अस्तुल्लापुर, तह0 मिलक, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री रूप चन्द व श्री मिलन गंगवार हो गये हैं।

रूप चन्द,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स रूप चन्द ठेकेदार,
ग्राम पटिया, पो0 मिलक, तहसील मिलक,
जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "गंगवार इण्टरप्राइजेज, मैन रोड मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को श्रीमती भावना गंगवार पत्नी श्री रूपचन्द, निवासी ग्राम पटिया, पो0 मिलक, जिला रामपुर व श्री रूप चन्द गंगवार पुत्र श्री राम भरोसे लाल, निवासी ग्राम पटिया, पो0 मिलक, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म में कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा दिनांक 27 जुलाई, 2021 को श्री प्रभाकर मिश्रा पुत्र श्री इम्लेश कुमार, निवासी ग्राम

रामशाला, पो0 आजमपुर वरखेड़ा, तह0 वीसलपुर, जिला पीलीभीत व श्री शशि प्रकाश सिंह पुत्र श्री अभिलाष राम पटेल, निवासी लक्ष्मीपुर हंसनगर कालोनी, इज्जत नगर, जिला बरेली व श्री महेन्द्र पाल गंगवार पुत्र श्री रूप चन्द गंगवार, निवासी ग्राम पटिया, पो0 मिलक, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री रामकुमार, श्री प्रभाकर मिश्रा, श्री शशिप्रकाश सिंह व श्री महेन्द्रपाल गंगवार हो गये हैं।

राम कुमार,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "गंगवार इण्टरप्राइजेज",
मैन रोड मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स आईएएस प्रोडक्ट्स, 12-1/47, कोटला मेवातियान, नई चुंगी, बिहाईण्ड गोपी कोल्ड स्टोरेज, बुलन्दशहर रोड, हापुड़-245101 की साझीदारी में श्रीमती तरन्नुम जहां एवं श्री इकबाल अहमद साझीदार थे। दिनांक 20 जुलाई, 2021 को श्री अतर सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को श्रीमती तरन्नुम जहां फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। दिनांक 20 जुलाई, 2021 की संशोधित डीड के अनुसार श्री अतर सिंह एवं श्री इकबाल अहमद साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण क गयी हैं।

अतर सिंह,
साझीदार,

मेसर्स आईएएस प्रोडक्ट्स,
12-1/47, कोटला मेवातियान, नई चुंगी,
बिहाईण्ड गोपी कोल्ड स्टोरेज,
बुलन्दशहर रोड, हापुड़-245101।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मेटल प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया, गलशहीद, प्रिंस रोड मुरादाबाद-244001 की पार्टनरशिप डीड जो दिनांक 01 अप्रैल, को पार्टनर 1-अब्दुल जब्बार पुत्र स्व0 हाजी अब्दुल रज्जाक, 2-फैसल जब्बार पुत्र अब्दुल जब्बार तथा

3-फयाज जब्बार पुत्र फैसल जब्बार सभी निवासीगण मो0 गलशहीद प्रिंस रोड, मुरादाबाद के द्वारा निष्पादित की गयी थी। तत्पश्चात् संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2013 के द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन किया गया तथा दिनांक 23 सितम्बर, 2018 को अब्दुल जब्बार की मृत्यु के बाद दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को संशोधित पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फर्म में दो नये पार्टनर 1-श्रीमती फरहदीबा फैसल पत्नी फैसल जब्बार व 2-फवाज फैसल जब्बार पुत्र फैसल जब्बार दोनों निवासीगण मोहल्ला गलशहीद प्रिंस रोड मुरादाबाद को शामिल किया गया। पार्टनर फैसल जब्बार, श्रीमती फरहदीबा फैसल, फयाज जब्बार व फवाज फैसल जब्बार का हिस्सा फर्म में क्रमशः 52%, 10%, 24%, 14% हो गया है।

फैसल जब्बार,
पार्टनर,

मेसर्स मेटल प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया,
गलशहीद, प्रिंस रोड, मुरादाबाद-244001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-मुरारी इण्डस्ट्रियल गैसेज 121/638 शास्त्रीनगर, कानपुर की भगीदारी फर्म के पार्टनर शिप डीड दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 में श्रीमती सरोजनी मिश्रा पत्नी कृष्ण मुरारी मिश्रा व श्री अजय मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा पंजीकृत थे। पार्टनर शिप डीड दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को संविधान में परिवर्तन करते हुए श्रीमती प्रीती मिश्रा पत्नी श्री अजय मिश्रा को साझीदारी में शामिल किया गया। पुनः फर्म के संविधान में परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को किया गया जिसमें साझीदार श्रीमती सरोजनी मिश्रा फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गयी हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में फर्म की साझीदारी, श्री अजय मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा, निवासी 121/638 शास्त्रीनगर कानपुर व श्रीमती प्रीती मिश्रा पत्नी श्री अजय मिश्रा, निवासी 121/638 शास्त्रीनगर कानपुर।

अजय मिश्रा,
साझीदार,

मैसर्स-मुरारी इण्डस्ट्रियल
गैसेज 121/638 शास्त्रीनगर, कानपुर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम ऋषि पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार सिन्हा तथा मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम अभिषेक सिन्हा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार सिन्हा अंकित है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। भविष्य में मुझे अभिषेक सिन्हा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार सिन्हा, निवासी 2/8 करैलाबाग कालोनी, प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

अभिषेक सिन्हा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म M/s. Vijay Kumar Shahi and Brother, Gram Poso Devipur Sardar Nagar ChauriChaura Gorakhpur 273202 संख्या 00078/2019-2020, पंजीयन संख्या GOR/0003293 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के साझेदार श्री विजय कुमार शाही पुत्र श्री जयशंकर शाही, निवासी देवीपुर सरदारनगर चौरी चौरा गोरखपुर के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 को फर्म से अपना हिस्सा कित्ताब प्राप्त करके फर्म से अलग हो गये हैं दिनांक 01 जुलाई, 2021 से श्री विजय कुमार शाही पुत्र श्री जयशंकर शाही के द्वारा किसी प्रकार के व्यवसाय व लेन देन से फर्म से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

मृत्युंजय शाही,
साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 सूर्या एच0पी0 गैस सर्विस, सलेमपुर रोड देवरिया में क्रमशः गीता देवी, राजेश कुमार कुल दो साझेदार रहे हैं। साझेदार गीता देवी निवासी ग्राम तिलई बेलवा, पोस्ट देवरिया उ0प्र0 दिनांक 06 जून, 2021 से स्वेच्छा से हट गयी। दिनांक 06 जून, 2021 को एक अन्य साझेदार आशुतोष मिश्रा पुत्र श्री सूर्य भान मिश्रा, निवासी तिलई बेलवा, पोस्ट देवरिया उ0प्र0 साझेदारी फर्म मे0 सूर्या

एच0पी0 गैस सर्विस, सलेमपुर रोड देवरिया में शामिल हुये तथा पूर्व साझेदार गीता देवी के हिस्से का हक राजेश कुमार और आशुतोष मिश्रा दोनों साझेदारों द्वारा आपस में सहमति से बांट लिया गया। अब साझेदार राजेश कुमार व आशुतोष मिश्रा द्वारा आगे साझेदारी में व्यापार का संचालन किया जायेगा।

गीता देवी,
मेसर्स सूर्या एच0पी0 गैस सर्विस,
निकट सावित्री हास्पिटल।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शाश्वत पावर टेक, एम0जे0 टुक्डा नं0-1, दिव्यनगर, जनपद गोरखपुर-273001 में साझेदारी डीड, दिनांक 12 जुलाई, 2017 को सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, जनपद गोरखपुर के वहां चार पार्टनर क्रमशः श्री मोहन गुप्ता पुत्र श्री महेन्द्र गुप्ता, बहादुरपुर तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर, 274409, श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन गुप्ता, बहादुर, जनपद कुशी नगर 274409, श्रीमती कमलावती पत्नी श्री मोहन गुप्ता बहादुरपुर, जनपद कुशीनगर 274409, श्रीमती सुमन पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता, बहादुरपुर, जनपद कुशीनगर 274409 रजिस्ट्रेशन संख्या जी 5087 पर पंजीकृत है तथा फर्म श्री उमेश कुमार पुत्र स्व0 रामदास प्रसाद, म0 नं0 2016 क्यू अशोक नगर, बशारतपुर, जनपद गोरखपुर 273004, दिनांक 22 फरवरी, 2021 को और जोड़ लिया गया है। अब फर्म में वर्तमान में पांच पार्टनर मौजूद हैं।

शाश्वत पावरटेक।